संख्या-382/2025/3785/22-2-2023-17(1369)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी साकिर अली पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक 04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी साकिर अली पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली, छोटी निवाड़ी थाना-बकेवर, जनपद-इटावा हाल पता पाल कालोनी मैनपुरी फाटक के पास थाना सिविल लाइन जनपद-इटावा का निवासी है। दिनांक 02/03.06.1997 को बंदी ने वादी की लड़की शबनम उम्र 04 माह की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या- 461/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302,201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्टनं0-02, इटावा के आदेश दिनांक 27.05.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.07.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के अपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन:अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी द्वारा नाबालिग बच्ची की हत्या की घटना की गयी है। बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 02/03.06.1997 को बंदी ने वादी लड़की शबनम उम्र 04 माह की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता,जिला प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अली पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी साकिर अली (बंदी संख्या-243/2013) पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-382/2025/3785(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-382/2025/3785/22-2-2023-17(1369)/2023

दिनांक 30 अपैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी साकिर अली पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली, छोटी निवाड़ी थाना-बकेवर, जनपद-इटावा हाल पता पाल कालोनी मैनपुरी फाटक के पास थाना सिविल लाइन जनपद-इटावा का निवासी है। दिनांक 02/03.06.1997 को बंदी ने वादी की लड़की शबनम उम्र 04 माह की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या- 461/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302,201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्टनं0-02, इटावा के आदेश दिनांक 27.05.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.07.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के अपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन:अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी द्वारा नाबालिग बच्ची की हत्या की घटना की गयी है। बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 02/03.06.1997 को बंदी ने वादी लड़की शबनम उम्र 04 माह की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता,जिला प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अली पुत्र सखावत अली उर्फ लियाकत अली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।